राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पीछे, झलाना लिंक रोड,जयपुर-
302017(फोनएवंफैक्सनं. 0141 2719136)

क्रमांक पं. 6 ( )/रा.सू.आ./स्टोर/2023–24/ 670   दिनांकः– 09-02-2024

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग के पुराने एवं नकारा घोषित सामान जिसमें मशीनरी काम आने वाले उपकरण/मशीनरी/फर्नीचर आदि को निलाम किया जाना है, जिनका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.सं.	सामान/सामग्री का विवरण	धरोहर राशि रूपयों में	नीलामी की दिनांक समय व स्थान
1	कम्प्यूटर, की बोर्ड, प्रिन्टर इत्यादि	3000/–	दिनांक– 19 फरवरी 2024 प्रातः 10.30 बजे
2	ईलेक्ट्रीक सामान, कूलर, स्टेबलाईजर, ए.सी. एलईडी लाईटे इत्यादि		
3	ऑफिस टेबल, लकड़ी की कुर्सियां, कम्प्यूटर कुर्सी, लकड़ी की टेबल थ्रीसीटर लोहे की कुर्सीयां इत्यादि		

उपरोक्त पुराना एवं नकारा सामान की खुली नीलामी जहां है जैसी है के आधार पर की जानी है। नकारा सामान की खुली नीलामी उपरोक्त वर्णित दर्शायी दिनांक को प्रातः 10.30 बजे आयोग कार्यालय में आयोजित की जावेगी। नीलामी में बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को उपरोक्त निर्धारित धरोहर राशि (जी.एस.टी प्रमाण पत्र, पेन कार्ड एवं आधार कार्ड ईत्यादि की छाया प्रति) जमा करवानी होगी। यह धरोहर राशि नीलामी की दिनांक को प्रातः 10.30 से 11.00 बजे के मध्य जमा की जावेगी तथा प्रातः 11.30 बजे नीलामी हेतु बोली प्रारम्भ हो जाएगी। नीलामी से संबंधित जानकारी हेतु कार्य दिवसों में कार्यालय समय के दौरान आयोग के प्रभारी भण्डार से सम्पर्क कर सकते हैं। नीलामी में शामिल नकारा सामान का पूरा विवरण तथा नीलामी की विस्तृत शर्ते/कार्यक्रम इत्यादि की जानकारी आयोग कार्यालय के सूचना पट्ट एवं आयोग की वेबसाईड Ric.rajasthan.gov.in से ली जा सकती है। नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी की सूचना/शर्तो की पालना करना अनिवार्य होगी।

(सुमन मीणा)
उप सचिव

राजस्थान राज्य सूचना आयोग

ओ.टी.एस. परिसर के पीछे, झलाना लिंक रोड,जयपुर-302017(फोनएवंफैक्सनं. 0141 2719136)

नकारा सामान हेतु नीलामी सूचना के नियम/शर्ते

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आयोग के संलग्न सूची में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान की नीलामी जहां है जैसी है के आधार पर की जाएगीः—

1. नीलामी दिनांक 19.02.2024(सोमवार) को प्रातः 10.30 बजे से 1.00 बजे मध्य आयोग कार्यालय में की जाएगी। किन्ही अपरिहार्य कार्यो से यदि नीलामी निर्धारित तिथि को नहीं हो सकी तो अगले कार्य दिवस को होगी।
2. नीलामी बोली लगाने से पूर्व प्रत्येक बोलीदाता को रूपये— 3000/— नीलामी धरोहर राशि जमा करवानी होगी। यह राशि प्रातः 10.30 बजे से 11.00 के मध्य ही जमा की जावेगी तथा 11.30 बजे से बोली प्रारंभ होगी।
3. जिस व्यक्ति के नाम से बोली स्वीकृत होगी उसे स्वीकृत बोली की कुल राशि का एक चौथाई (25%) तुरन्त मौके पर ही जमा करवाना होगा। शेष (75%) राशि आयोग के बोली स्वीकार्य बाबत पत्र प्राप्त होने के 3 दिन में जमा करवानी होगी।
4. भारत/राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत देय सभी प्रकार के बिक्री कर जी.एस.टी./आयकर इत्यादि की भुगतान की जिम्मेदारी सफल बोलीदाता की होगी एवं आयोग उत्तरदायी नहीं होगा। यह बोली राशि के अतिरिक्त होगी।
5. सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित अवधि में बोली की सम्पूर्ण राशि जमा न कर पाने की अवस्था में उसके द्वारा जमा करायी गई धरोहर राशि एवं बोली की राशि (25%) आयोग द्वारा जब्त कर ली जावेगी। साथ ही इसके पक्ष में स्वीकृत बोली कर रद्द कर दिया जाएगा। इस स्थिति में द्वितीय अधिकतम बोलीदाता की बोली स्वीकार करने या नकारा सामान के विक्रय हेतु पुनः नीलामी आयोजित करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
6. नीलामी में वर्णित पुराने एवं नकारा सामान को देखने के इच्छुक व्यक्ति आयोग के भण्डारपाल (स्टोर) से किसी भी कार्य दिवस में 11.30 बजे से 1.00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं।
7. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्तियों को इस सम्बन्ध में भारत सरकार/राज्य सरकार/जिला कलेक्टर द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों/निर्दशों की अनुपालना आवश्यक रूप से करनी होगी।
8. बोली में वही व्यक्ति/फर्म भाग ले सकते हैं जिसके पास जीएसटी प्रमाणपत्र, पेन कार्ड, आधार कार्ड इत्यादि की फोटो प्रति साथ में हो तथा धरोहर राशि जमा करवाते समय कार्यालय में जमा करवाना आवश्यक होगा।

9. अधिकतम बोलीदाता के पक्ष में बोली छोड़ने का अधिकार आयोग के सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित रहेगा एवं उनका निर्णय अन्तिम होगा।

10. बोली/नीलामी में किये समस्त सामान को बोली लगाने वाले व्यक्ति/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि नीलामी की समस्त औपचारिकता पूर्ण करने पर तथा आयोग से पत्र जारी होने के तीन दिन में नीलामी का सामान ले जाना होगा। तत्पश्चात व्यक्ति/फर्म का दावा सामान पर नहीं होगा।

11. नीलामी के सामान को एक मुश्त में ले जाने का समय प्रातः 11.00 बजे से सांय 4.00 बजे के मध्य होगा।

(सुमन मीणा)
उप सचिव